ऑन लाईन नं. **RCMS 2023/127**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 31/2023

1. रामप्रताप पुत्र सुरजाराम , जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. भंवरलाल पुत्र सुरजाराम , जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम , जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. धर्मवीर पुत्र सुरजाराम , जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गंगासिंह पुत्र सुरजाराम , जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. विजय कुमार पुत्र सुरजाराम , जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. रामलाल पुत्र श्री लूणाराम जाति नायक निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्रीगंगानगर दिनांक 02.12.2019 जिसकी रूह से अपीलांट की भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिलाने का आदेश दिया गया है, बमुराद मन्सूख।

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जरनैल सिह टुरना, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

::आदेश:: **दिनांक :–03.05.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा चेतनराम को भारत सरकार द्वारा चक 20 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 57, हाल मुरब्बा नम्बर 55 के 25 बीघा भूमि अलाट है। चेतनराम के मरने के बाद अपीलांट के पिता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 76 नियम के तहत जिला पुनर्वास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया कि चेतनराम पुत्र गंगाराम का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस घोषित किए जावें, जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी ने दिनांक 04.12.1986 को तमाम जमीन का हकदार सुरजाराम को घोषित करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत तमाम जमीन का हकदार सुरजाराम है। सुरजाराम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष लुणाराम व गोपी सिंह के खिलाफ प्रस्तुत किया कि अपीलांट के पिता की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा जमीन का कब्जा दिलाया जावें जिस पर पुनर्वास अधिकारी ने दिनांक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

16.05.1987 को जमीन का कब्जा सुरजाराम को दिलाया गया। कब्जा मिलने के बाद उपरोक्त भूमि पर लूणाराम आदि द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिस पर लड़ाई झगड़ा हुआ जिस पर एक व्यक्ति की उस झगडे में मृत्यु हो गई जिस पर एस.एच.ओ. चूनावढ द्वारा धारा 145 के तहत एसडीएम के कार्यवाही की जिस पर दिनांक 04.07.1998 को रकबा रिसीवर करने के आदेश धारा 145 के तहत दिए गए जिस पर रिसीवर द्वारा इस जमीन का कब्जा मौके पर ले लिया गया, उसके बाद धारा 145 के तहत कार्यवाही चलती रही जिसमें अपीलांट के पिता सुरजाराम ने माननीय अपर सैशन न्यायालय में निगरानी की क्योंकि रिसीवर होने के बाद दो बार मामला एसडीओ कोर्ट में आया, जिस पर एसडीएम साहब ने दिनांक 06.06.2006 को जमीन का कब्जा लूणराम आदि को देने का पारित किया जिसके खिलाफ सुरजाराम ने माननीय अपर सैशन न्यायालय में निगरानी की जो दिनांक 15.09.2006 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2006 को अपास्त किया जाकर आदेश दिया कि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा सुरजाराम उर्फ सुरजनराम निगरानीकर्ता को दिलाया जावें और जब तक उसे विधि के अनुक्रम में बेदखल ना कर दिया जावे, कोई भी पक्षकार उसके कब्जे में बाधा अथवा विघन नहीं डालेगा। इस आदेश की पालना में सुरजाराम को दिनांक 19.09.2006 को जमीन का कब्जा रिसीवर द्वारा अपीलांट के पिता को सौंप दिया इस आदेश के खिलाफ लूणाराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश की जिस पर सुरजाराम ने माननीय उच्च न्यायालय में यह कहा कि मेरे द्वारा सिविल न्यायालय में मामला कर रखा है तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो सिविल न्यायालय का आदेश होगा वहीं इस पर लागू होगा यह आदेश दिनांक 05.05.2008 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जबकि लूणाराम द्वारा कोई मामला सिविल न्यायलाय में प्रस्तुत नहीं किया था तो लूणाराम द्वारा दोबारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व न्यायालय में पेश किया हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2011 को आदेश दिया कि सिविल कोर्ट shall be read PS Sevens Court जबकि रेवेन्यू कोर्ट में भी लूणाराम ने कोई केस अपने अधिकारों का नहीं किया हुआ था। इस आदेश के बाद लूणाराम द्वारा अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगा तो अपीलांट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष धारा 188,88,92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण अपीलांट का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया क्योंकि इस रकबा की खातेदारी सनंद जारी नहीं हुई थी क्योंकि जब तक खातेदारी संनद जारी नहीं होती, तब तक राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं होता इस आधार पर अपील खारिज कर दी गई, जबकि अदालत द्वारा मैरिट पर कोई निर्णय पारित नहीं किया इसी बीच में रेस्पोडेन्ट के पिता ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया हालांकि दिनांक 15.09.2006 को अपर सैशन न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अपीलांट के पिता को तब तक बेदखल ना किया जावें, जब तक विधि अनुसार रेस्पोडेन्ट को कोई आदेश नहीं हो जाता, जबकि रेस्पोडेन्ट को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाने के कोई आदेश पारित नहीं किए गए, लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर जबरन कब्जा कर लिया जिस पर मजबूरन अपीलांट द्वारा धारा 183 (बी) का वाद प्रस्तुत किया जो तहसीलदार द्वारा निर्णय जो पारित किए गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए दिनांक 07.10.2016 को कब्जा दिलाने के आदेश दिए जिसके तहत मौके पर अपीलांट को कब्जा दिया गया जिसके खिलाफ रामलाल द्वारा एक अपील नम्बर 71/2016 प्रस्तुत की जो दिनांक 11.12.2017 को खारिज हो गई तथा मामला जिला पुनर्वास अधिकारी, को भेजा गया जो अब भी विचाराधीन है इस बीच में तहसीलदार द्वारा बिना किसी कानून बिना किसी आधार पर दिनांक 02.12.2019 को जमीन का कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिलाने का आदेश पारित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कर दिया, अब जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.06.2023 को हुई जब वह जमीन पर कब्जा करने लगा तो पता चला और पता चलते ही नकल की दरखास्त दी, नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहे है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर पेश है :–

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का गैरकानूनी है जो पुनः गौर मिसल के है। नकल आदेश सलंग्न पत्रावली है।
2. यह कि अपीलांट के दादा चेतनराम पुत्र गंगाराम को भारत सरकार द्वारा चक 20 एमएल–बी के मुरब्बा नम्बर 55 में 25 बीघा रकबा अलाट किया गया था। चेतनराम के मरने के बाद जिला पुनर्वास अधिकारी, द्वारा तमाम जमीन .अपीलांट के पिता सुरजाराम के नाम दर्ज कर दी थी जिस पर अपीलांट के पिता ने जिला पुनर्वास अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट के पिता की भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने नाजायज कब्जा कर रखा है तथा जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता को दिलाया जावें। जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.1987 को जमीन का कब्जा अपीलांट को दिलाने के आदेश पारित किए यह आदेश आज भी प्रभावित है। इस आदेश के खिलाफ कोई अपील किसी न्यायलाय में नही की गई, यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।
3. यह कि जिला पुनर्वास अधिकारी, के आदेश दिनांक 16.05.1987 की पालना में कब्जा मिलने के बाद रेस्पोडेन्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट तथा अन्य कुछ अपराधिक किस्म के व्यक्तियों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के कारण दोनो पक्षों के बीच में मारपीट तथा इस झगड़े में एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर एसएचओ द्वारा इस जमीन पर तनाव होने की वजह से तथा और खुन–खराबा ना होने की वजह से धारा 145–146 के तहत दिनांक 04.07.1998 को उपरोक्त रकबा रिसीवर करने के आदेश पारित किए जिस पर रिसीवर द्वारा उपरोक्त जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया। रिसीवर के खिलाफ आगे कार्यवाही होती रही, दो बार मामला उच्च न्यायालय के पास गया तथा दिनांक 06.06.2006 को जमीन का कब्जा रेस्पोडेन्ट के पिता को देने के आदेश पारित किए जिसके खिलाफ निगरानी करने पर रेस्पोडेन्ट को कब्जा देने का स्थगन आदेश जारी कर दिया तथा दिनांक 15.09.2006 को अपर सैशन न्यायालय द्वारा जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता को देने के आदेश पारित किए साथ में यह भी आदेश दिया कि जब तक विधि अनुक्रम में रेस्पोडेन्ट को कब्जा न्यायालय द्वारा दिलाया जाता है, तब तक अपीलांट के पिता को जमीन पर बेदखल व कब्जा में बाधा उत्पन्न ना करें यह आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया। यह आदेश आज भी प्रभावित है, यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर बार–बार आदेशों की अवेहलना करते हुए बार–बार जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। माननीय सैशन न्यायालय के आदेश की भी अवेहलना कर रहा है जिससे मजबूर होकर अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश किए क्योंकि अपीलांट के पास 25 बीघा का कब्जा था, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने 12 बीघा जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया जिस पर अपीलांट को तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने जमीन का कब्जा दिलाने के आदेश पारित किए जिसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने अतिरिक्त जिलाधीश , श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की। अतिरिक्त जिलाधीश ने अपील को खारिज करते हुए मामला जिला पुनर्वास अधिकारी के समक्ष रिमाण्ड किया जिसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानी पेश की जो आज भी विचाराधीन है, यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया, जबकि अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील को खारिज की है तो तहसीलदार को जमीन का कब्जा देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायलाय ने इस पर गौर ना करके कानूननी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय अपर सैशन न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, आदेश की पालना करनी चाहिए थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उस आदेश की अवेहलना करते हुए कानूनी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
7. यह कि अपीलांट को सबूत पेश करने एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि अन्य तथ्य बरवक्त बहस पेश किए जावेगें।
9. यह कि अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है।
10. यह कि अपील एक रूपया कोर्ट फीस पर पेश है।
11. यह कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 02.12.2019 का है, पारित करने से पूर्व अपीलांट के गैर हाजिर में पारित किया गया है, इस वजह से इस आदेश की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही थी, इस आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06.06.2023 को हुई, जब रेस्पोडेन्ट जमीन में कब्जा करने लगे तो पता चला कि उन्होनें बताया कि जमीन का कब्जे के आदेश के आधार पर हम कब्जा कर रहे है, तो अपीलांट उसी रोज नकल की दरखास्त दी तथा खर्चे का बंदोबस्त किया, जो आज अपील पेश की जा रही है, जो अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलांट उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.12.2019 को निरस्त किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि:–

अपीलांट के दादा चेतनराम को जीवों के आधार पर चक 20 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 57, हाल मुरब्बा नम्बर 55 के 25 बीघा भूमि 5 जीवों के आधार पर अलाट की गयी थी। जिसमें चेतनराम का 1/5 हिस्सा दर्ज था। चेतनराम का स्वर्गवास होने के बाद उसके लड़के सुरजाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 76 सीपीसी एण्ड आर एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अलाटमेन्ट के अन्य हिस्सेदारों ने अपना हक सुरजाराम के हक में तर्क कर दिया जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी ने दिनांक 04.12.1986 को तमाम जमीन का हकदार सुरजाराम को घोषित करने का आदेश पारित किया। जिसकी नकल अपील के साथ शामिल है क्योंकि चेतनराम बुजुर्ग व्यक्ति था तथा आखों से अन्धा था, उसे दिखाई नहीं देता था तथा लूणाराम जो रेस्पोडेन्ट का पिता था वह नायक जाति का लीडर था। अपीलांट के पिता ने उसे जमीन की सनद आदि लेने के लिए मुखत्यारनामा दिया लेकिन उसने इस जमीन पर अवैद्य रूप से कब्जा कर लिया तथा जमीन अपीलांट के पिता सुरजाराम के नाम दिनांक 04.12.1986 को होने के बाद उसने एक प्रार्थना पत्र जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि लूणाराम व प्रीतम कौर ने जमीन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिसे हटाया जाकर जमीन का कब्जा उसे दिलाया जावें जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता को नोटिस देकर दिनांक 16.05.1987 को जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता को दिलाने का आदेश पारित किया जिसके तहत जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता को मिल गया। कब्जा मिलने के बाद रेस्पोडेन्ट के पिता ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिस पर फौजदारी मामले हुए तथा इस भूमि पर विवाद को लेकर एसएचओ द्वारा धारा 145 व धारा 146 के तहत एक इस्तगासा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.07.1998 में रकबा रिसीवर किया गया तथा रिसीवर ने जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता से प्राप्त किया। धारा 145 के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में निर्णय किए गए तथा जिस पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.06.2006 को इस जमीन का कब्जा रेस्पोडेन्ट के पिता को दिलाने के आदेश पारित किए जिस पर अपीलांट के पिता ने दिनांक 06.06.2006 के आदेश के खिलाफ माननीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी पेश की जिस पर अपर जिलाधीश द्वारा दोनो पक्षों को सुनते हुए दिनांक 15.09.2006 को निगरानी स्वीकार करते हुए निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया।

(क) आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा सुरजाराम उर्फ सुरजन राम निगरानीकर्ता को दिया जावें।

(ख) जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल ना कर दिया जावें कोई भी पक्ष उसके कब्जे में बाधा अथवा विघन नहीं डालेगा।

(ग) अधीनस्थ न्यायालय उसे तुरन्त भूमि का कब्जा सुपुर्द करेगा।

यह आदेश आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया। इस आदेश की पालना में अपीलांट के पिता को दिनांक 19.09.2006 को रिसीवर हटाया जाकर जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता को सौंप दिया।

1. यह कि रेस्पोडेन्ट के पिता लूणा राम ने दिनांक 15.09.2006 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की तथा उस रिट में यह कहा कि मैने इस जमीन का वाद सिविल न्यायालय में कर रखा है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2008 को यह निर्णय किया कि जो सिविल न्यायालय द्वारा रिट याचिका दायर की हुई है उसका जो भी निर्णय होगा उसी अनुसार कार्यवाही की जावे क्योंकि रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा कोई वाद सिविल न्यायालय में नही किया हुआ था इसलिए वहा पर कोई फैसला नही हो सका इसलिए उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना प्रस्तुत किया कि मेरा मामला उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में चल रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2008 के आदेश को दिनांक 19.05.2011 को संशोधन करते हुए उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा किया हुआ वाद का निर्णय किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो निर्णय होगा वही माना जाएगा लेकिन रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा कोई मामला उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत नही किया था क्योकि अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में 19.09.2006 को अपीलांट के पिता को जमीन का कब्जा दिया गया था उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। हांलाकि माननीय सैशन न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया था कि रेस्पोडेन्ट का पिता लूणाराम जब तक सक्षम न्यायालय में आदेश प्राप्त नही कर लेता तब तक अपीलांट के पिता को बेदखल नही किया जावे क्योकि रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई आदेश प्राप्त नही किया था इसलिए कानून को अपने हाथ में लेकर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था क्योकि अपीलांट का पिता गरीब हरीजन व्यक्ति था क्योकि पूर्व में भी इस जमीन को लेकर कत्ल हो चुका था इसलिए अपीलांट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का पिता झगडा नही करना चाहता था लेकिन रेस्पोडेन्ट का पिता झगडा करके अपीलांट व अपीलांट के पिता को फसाना चाहता था। इसी बीच में अपीलांट के पिता की मृत्यु हो गयी जिस पर अपीलांट द्वारा एक वाद धारा 188 व 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि अपर जिला न्यायाधीश द्वारा हमें जमीन का कब्जा दिलाया गया है लेकिन रेस्पोडेन्ट इस पर जबरन कब्जा करना चाहते है उन्हे पाबन्द किया जावे कि जमीन में दखलंदाजी ना करे। जिसे प्रारम्भिक रूप से अपीलांट के हक में स्थगन आदेश जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया कि इस रकबे की खातेदारी सनद जारी नही हुई थी इसलिए वाद खारिज किया जावे जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज कर दिया। बाद में अपील पेश की। अपील भी इस आधार पर खारिज कर दी कि जब तक इस रकबा की सनद जारी ना हो जाए तब तक इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। इसी बीच में रामलाल रेस्पोडेन्ट ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। हालांकि अपर सैशन न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया था लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी बीच में डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिपिल होने पर राज्य सरकार द्वारा 2011 को उस जमीन पर राजस्थान भू राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन नियम 63 के प्रावधान लागू किए गए जिस पर अपीलांट ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि उपरोक्त जमीन का प्रीतम कौर ने इकरारनामा किया था जिसका मुखत्यारे आम लूणाराम था तथा लूणाराम ने इकरारनामा अपने लडके संजय कुमार के हक में लिख दिया इसलिए संजय कुमार बतौर इकरारनामा के आधार पर काबिज है जिस पर तहसीलदार ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 07.10.2016 को जमीन का कब्जा अपीलांट को दिलाने का आदेश दिया। तहसीलदार ने मौके पर जाकर कब्जा अपीलांट को सौंप दिया। जिसकी नकल शामिल है। दिनांक 07.10.2016 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने जनाबवाला के समक्ष अपील पेश की जिस पर जनाबवाला ने दिनांक 11.12.2017 को अपील खारिज कर दी। जिसके खिलाफ रामलाल और संजय कुमार ने राजस्व मण्डल में निगरानी दायर की जो दिनांक 15.05.2019 को खारिज हो गयी तथा खारिज होने के बाद एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि 11.12.2017 का आदेश अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर की पालना में जमीन का कब्जा दिलाया जावे जबकि 11.12.2017 को रेस्पोडेन्ट की अपील खारिज हो चुकी थी तथा 11.12.2017 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की थी जो खारिज हो चुकी थी मगर तहसीलदार द्वारा बिना किसी आधार पर जमीन का कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिलाने का आदेश दिनांक 02.12.2019 को देने का आदेश दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को 11.06.2023 को हुई। जिसके खिलाफ इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2. यह कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया कि 11.12.2017 के आदेश की पालना में कब्जा देने के आदेश दिए है जो कानूनन गलत है क्योंकि 11.12.2017 को अतिरिक्त जिलाधीश ने कोई कब्जा देने के आदेश जारी नही किए गए लेकिन अदालत द्वारा बिना किसी आदेश के जमीन का कब्जा देने का आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी व निरस्त करने योग्य है।

3. यह कि तहसीलदार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। तहसीलदार को आदेश पारित करने का कोई अधिकार नही था जो आदेश क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया जाता है उस आदेश की कानूनन कोई मियाद नही है किसी भी समय उसकी अपील पेश की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अपील के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र पेश किया है जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब पेश नहीं किया इसलिए अपील अन्दर मियाद है।

4. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहना कि जो आदेश 02.12.2019 को पारित किया गया है इस आदेश की अपील पेश नही की जा सकती जो कि सरासर गलत है क्योंकि अदालत द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट रामप्रताप आदि को उक्त भूमि का कब्जा सौंपा जावे जिसकी पालना रिपोर्ट दी जावे जिससे स्पष्ट है कि जमीन का कब्जा देने का आदेश दिया गया। हालांकि अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा अपील खारिज की है तथा यह निर्देश दिया है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जाकर कार्यवाही करे तो तहसीलदार को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही रहता। यह अधिकार उपखण्ड अधिकारी पदेन पुनर्वास अधिकारी को थे मगर उनके द्वारा कोई आदेश पारित नही किया इसलिए भी दिनांक 02.12.2019 का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि अदालत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि पूर्व में 22.10.2019 को आदेश दिया गया था निगरानी नम्बर–7709/2017 अनवान रामलाल बनाम रामप्रताप में यथास्थिति का आदेश जारी किया गया था इसलिए उसकी पालना नहीं की गयी थी यह निगरानी रामलाल ने खुद पेश की थी और खुद ने स्थगन आदेश जारी करवाया था जो रामलाल की खारिज हो चुकी थी उसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा कब्जा देने के आदेश पारित करके कानूनी भूल की है।
6. यह कि तहसीलदार द्वारा 02.12.2019 का आदेश कानूनी प्रक्रिया की उल्लंघना करके पारित किया गया है जो रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने की गर्ज से जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

लिहाजा लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.12.2019 का निरस्त किया जावे व जमीन का कब्जा अपीलांट को दिलाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि:–

1. यह कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार के आदेश कमांकःराजस्व/2015–1321 दिनांक 02.12.2019 के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गयी है क्योंकि तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2017 की पालना में प्रार्थी को कब्जा दिलवाया गया है क्योंकि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष धारा 144 व धारा 151 दिवानी प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर ही प्रार्थी को कब्जा तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.12.2019 को दिलवाये जाने के आदेश दिये गये थे इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर का कोई भी मूल आदेश नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रार्थी को कब्जा दिलवाया गया है, जिसकी अपील कानूनन माननीय न्यायालय में लायी नहीं जा सकती है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 2019 पेज संख्या 2631 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि पहले जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसका निर्णय किया जावेगा क्योंकि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक कानूनी एतराज दिनांक 16.01.2024 को पेश किये जा चुके है इसलिए प्रारम्भिक कानूनी एतराज का सर्वप्रथम निर्णय किया जावें, क्योंकि अपील माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। इसी आधार पर ही अपीलांट की अपील निरस्त की जानी अति आवश्यक है।
2. यह कि उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार से है कि चक 20 एम.एल.बी. के खाता संख्या 59/57 मुरब्बा नम्बर 55 की कृषि पुनर्वास विभाग द्वारा चेतनराम पुत्र गंगाराम को आवंटन हुई और चेतनराम द्वारा अपना मुखत्यारेआम दिनांक 26.07.1963 को रामरख पुत्र कुशालराम को दे दिया था, इनके द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि जरिए ईकरारनामा दिनांक 12.08.1965 को गोपीराम उर्फ गोपीसिंह पुत्र कालूराम को बेचान करके कब्जा भी गोपीराम उर्फ गोपीसिंह को सौंप दिया गया था। गोपीराम उर्फ गोपीसिंह का उनके जीवन काल तक कब्जा गोपीराम उर्फ गोपीसिंह का रहा था। गोपीराम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री प्रीतम कौर अकेली वारिस थी।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रीतम कौर द्वारा दिनांक 20.09.2006 को जरिए इकरारनामा व प्रतिफल लेकर उक्त कृषि भूमि का इकरारनामा रामलाल पुत्र लूणाराम के हक में करवाकर कब्जा रामलाल को सौंप दिया गया था। रामलाल पुत्र लूणाराम द्वारा जरिए इकरारनामा उक्त कृषि भूमि का बेचान संजय को दिनांक 28.03.2013 को कर दिया गया व कब्जा भी संजय को सौंप दिया गया। संजय द्वारा उक्त भूमि को नियमन करवाने व खातेदारी लेने हेतु उपखण्ड अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण संख्या 97/2013 दर्ज रजिस्टर्ड हुआ। नियमन की पत्रावली की फोटोप्रति माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार से आवंटी द्वारा खुद की कृषि भूमि का बेचान जरिए इकरारनामा दिनांक 12.08.1965 को कर दिया गया था और दिनांक 12.08.1965 के बाद आवंटी चेतनराम के वारिसों का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। अपीलांटस को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा अपराधिक षडयंत्र रचकर धोखे से कूटरचित इकरारनामा दिनांक 04.02.2013 को उक्त कृषि भूमि का दोबारा इकरारनामा राधाकृष्ण पुत्र अमराराम के नाम से कर दिया गया था जिसका पता चलते ही प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना संख्या 525/2016 पुलिस थाना जवाहरनगर में अन्तर्गत धारा 120बी, 418, 420, 423,485,467,468,471 के अन्तर्गत दर्ज करवायी गयी जो जेरकार है। अपीलांट द्वारा प्रार्थी के साथ तो धोखा किया गया बल्कि न्यायालय के साथ भी धोखा किया गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.02.2013 को जरिए कूटरचित इकरारनामा राधाकृष्ण को किया गया था और राधाकृष्ण द्वारा उपखण्ड अधिकारी/पुनर्वास अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र कृषि भूमि का नियमन करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिसकी फोटो प्रति सलंग्न है। अपीलांट द्वारा अपराधिक षडयंत्र रचकर व कूटरचित इकरारनामा राधाकृष्ण के हक में करवाया गया था जिसका पता चलते ही प्रार्थी ने इनके विरूद्व प्रथम सूचना संख्या 525/2016 पुलिस थाना जवाहरनगर में दर्ज करवाया गया जिसकी फोटोप्रति सलंग्न है। अपीलांट को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई भी अधिकार नहीं है जब उनके द्वारा भूमि का जरिए इकरारनामा होना पाया जाता है व दस्तावेजों से भी साबित है तो न्यायालय से भी अपीलांट धोखा कर रहे है व तथ्यों को छुपाकर दुर्भिसंधि कर अपराधिक षडयंत्र रचकर व प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को ब्लैकमेल करने के आश्य से न्यायालय की ओट लेकर कार्यवाही कर रहे है, इसलिए अपीलांट पर 4 लाख रूपये हर्जाना लगाया जावें व यह हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावें क्योंकि उक्त भूमि रिकॉर्ड में पहले चेतनराम पुत्र गंगाराम के नाम से आवंटन थी, जिसकी बेसिक रजिस्टर की नकल सलंग्न है और जमाबन्दी भी चेतनराम पुत्र गंगाराम के नाम से रिकॉर्ड में है जिसका फायदा उठाते हुए बार–बार न्यायालय की कीमती समय बर्बाद कर रहे है इसलिए इन पर विशेष हर्जाना लगाया जाना जरूरी है क्योंकि चेतनराम का जो वारिसनामा पुनर्वास अधिकारी ने नियम 76 के तहत बनाया गया है उसमें न तो खरीददार को पक्षकार बनाया गया और न ही चेतनराम के वारिसों द्वारा यह बताया गया था कि उक्त रकबा का बेचान हो चुका है जबकि उस समय न्यायालय को गुमराह करके वारिसनामा बनाया गया था। वारिसनामा से प्रार्थी के हकों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2014 सुप्रीम कोर्ट 3640 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलांट द्वारा लिखित बहस में यह कहना कतई गलत है कि सुरजाराम का उसके जीवनकाल में कब्जा रहा व उसके बाद अपीलांट का कब्जा रहा कतई गलत है क्योंकि सुरजाराम द्वारा दिनांक 12.08.1965 को उक्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया था और कभी भी कब्जा अपीलांट का नहीं रहा और न ही अपर जिला न्यायाधीश द्वारा कभी भी कब्जा अपीलांट को दिये जाने के आदेश दिये गये थे। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.09.2006 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर में निगरानी पेश की गयी व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 09.10.2006 को अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के आदेश को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्थगित कर दिया गया था और कब्जा प्रार्थी के पास ही रहा था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी में यह कहते हुए निर्णय पारित कर दिया गया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो भी निर्णय अंन्तिम होगें। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वाद सरस्वती वगैरा बनाम प्रीतम कौर वगैरा अन्तर्गत धारा 188–92ए के तहत पेश कर रखा था जो उपखण्ड अधिकारी, के निर्णय दिनांक 26.02.2009 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील पेश की गयी जो दिनांक 17.08.2016 को खारिज कर दी गयी थी, जब अपीलांट को किसी भी न्यायालय से कोई भी अनुतोष नहीं मिला तो अपीलांट द्वारा अपराधिक षडयंत्र रचकर तथ्यों को छुपाकर एक वाद तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर के यहां धारा 183 बी राज0 टेनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया गया और अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए उसका फैसला दिनांक 07.10.2016 को करवा लिया गया और तहसीलदार से मिलीभगत करके 10.10.2016 को कब्जा प्राप्त करने के आदेश पारित किये गये जिस पर प्रार्थी व संजय द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.10.2016 के विरूद्व अपील पेश की गयी और जनाबवाला की अदालत द्वारा दिनांक 11.12. 2017 को यह आदेश दिये गये कि तहसीलदार का आदेश बिना क्षेत्राधिकार के व अकृत व शून्य है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दे रखे थे कि जो भूमि जरिए इकरारनामा बेचान हो चुकी है उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है और जनाबवाला के समक्ष प्रार्थी व संजय द्वारा धारा 144 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीगण को कब्जा विधि सम्मत् दिलवाया गया था इसलिए जो आदेश माननीय न्यायालय की पालना में किये गये है उसकी अपील अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में करने का कोई भी अधिकार व हक प्राप्त नहीं है।

3. यह कि अपीलांट द्वारा न्यायालय को धोखा देने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है और माननीय न्यायालय का कीमती समय जाया किया गया है व न्यायालय से भी धोखा किया गया है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर कोई पक्षकार न्यायालय से धोखा करता है तो वह किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए0आई0आर0 1994 एस.सी. 853 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।
4. यह कि अपीलांट द्वारा जो आवश्यक पक्षकार थे उनको पक्षकार नहीं बनाया गया क्योंकि संजय कुमार आवश्यक पक्षकार था लेकिन अपीलांट द्वारा जानबूझकर उसे पक्षकार नहीं बनाया गया इसी आधार पर ही अपील खारिज होने योग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2014 सुप्रिम कोर्ट 3640 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।
5. यह कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है, जबकि श्रीमान तहसीलदार का आदेश दिनांक 02.12.2019 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है और अपील दिनांक 26.06.2023 को प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलांट उसी गांव के निवासी थे और जिस दिन कब्जा दिलवाए जाने के आदेश दिए गए थे उसी दिन से अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी भलीभांति से थी। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है व इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2021 एससी पेज 899 ई में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
6. यह कि अपीलांट के वकील द्वारा जो अपील व लिखित बहस पेश की गयी है उसमें न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश की गयी है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी का प्रकरण बनता ही नहीं था क्योंकि दोनों पक्षकारान अनूसूचित जाति से है इसलिए धारा 183 का मामला बनता ही नहीं था क्योंकि अपीलकृत कृषि भूमि जो

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पुनर्वास विभाग से आवंटन हुई थी और आवंटियों द्वारा बिना खातेदारी प्राप्त किये ही उक्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया था जिस पर राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2 (67)/61/111 दिनांक 16.10.1987 के अनुसार जो कृषि भूमि बिना खातेदारी अधिकार के बेचान हो चुकी है उनको बेदखल नहीं किया जा सकता था। प्रकरण में हस्तांतरण से राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का भी उल्लंधन नहीं हुआ है। इस दृष्टि से यह मामला धारा 183 बी के दायरे में नहीं आता है इसलिए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार से परे जाकर दिनांक 07.10.2016 को निर्णित किया गया है जो विधि विरूद्व है जिसे यथावत रखा जाना कानूनन दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। लिहाजा यह निर्णय/आदेश कानूनन प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2017 को उपरोक्त आदेश दिये गये थे व तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर का निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया था जो न्यायालय द्वारा अकृत व शून्य घोषित किया गया है। अपीलांट का अपनी लिखित बहस में यह कहना कि प्रार्थीयान द्वारा जो माननीय न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के समक्ष अपील पेश की गयी वह खारिज कर दी गयी कतई गलत है।

7. यह कि प्रार्थी व संजय कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 144 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसके आधार पर तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा विधि अनुसार माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना की गयी थी इसलिए तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.12.2019 के विरूद्व अपील पेश नहीं की जा सकती है बल्कि अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की गयी है, इसी आधार पर ही अपील खारिज की जानी आवश्यक है।
8. यह कि अपीलांट का यह कहना कतई गलत है कि प्रार्थी व संजय को कोई इकरारनामा नहीं किया गया कतई गलत है क्योंकि आवंटी चेतनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही गोपीराम को दिनांक 12.08.1965 को बेचान कर दी गयी थी और जरिए इकरारनामा उक्त कृषि भूमि स्थानांतरित होती रही है। अपीलांट द्वारा इकरारनामा को निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही किसी भी सक्षम न्यायालय मे नहीं की गयी इससे भी यह साबित होता है कि चेतनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 12.08.1965 को ही भूमि का बेचान कर दिया गया था। अपीलांट को 12.08.1965 के बाद उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि जो अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है उसमें तो कब्जा खुद प्राप्त करना चाहते है और दूसरी तरफ जरिए कूटरचित इकरारनामा राधाकृष्ण को बेचान करना पाया गया है और जिसके सम्बन्ध में राधाकृष्ण द्वारा नियमन किये जाने हेतू भी प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। इसलिए अपीलांट कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है बल्कि न्यायालय को धोखा देने की नियत से तथ्यों को छुपाया गया है इसलिए प्रार्थी को विशेष हर्जाना व मिन प्रोफिट दिलवाया जावें।
9. यह कि अन्य तथ्य व कानूनी बिन्दु वरवक्त बहस अर्ज किए जावेगे।

अतः लिखित बहस श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा पेश अपील को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें व प्रार्थी को विशेष हर्जाना अपीलांट से दिलवाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया :–

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तिया प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2024 में कथन किया कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार के आदेश कमांकःराजस्व/2015–1321 दिनांक 02.12.2019 के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2017 की पालना में प्रार्थी को कब्जा दिलवाया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष धारा 144 व

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

धारा 151 दिवानी प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर ही प्रार्थी को कब्जा तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.12.2019 को दिलवाये जाने के आदेश दिये गये थे इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर का कोई भी मूल आदेश नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रार्थी को कब्जा दिलवाया गया है, जिसकी अपील कानूनन माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर में नहीं लाई जा सकती है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 2019 पेज संख्या 2631 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पहले जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसका निर्णय किया जावेगा क्योंकि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक कानूनी एतराज प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2024 को पेश किया जा चुका है। इसिलए प्रारम्भिक कानूनी एतराज का सर्वप्रथम निर्णय किया जावें, क्योंकि अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि **"माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.12.2017 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेशित किया गया था कि प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2009 के तहत कार्यवाही अपेक्षित है। इसमें पूर्व के 5 अधिनियमों के निरसन की स्थिति में वर्तमान में व्यवस्था दी गई है। हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में निस्तारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के तहत होना है। इसके लिए उपरोक्त नियमों के तहत नये जोड़े गये नियम 5ए के तहत नियमन की कार्यवाही होनी है जिसके लिए उभयपक्ष दावेदार अपना दावा/आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को करने में स्वतन्त्र है।"** अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहना कि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में धारा 144 व धारा 151 दिवानी प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके आधार पर कब्जा प्राप्त किया गया, उचित नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में प्रस्तुत फोटो प्रति धारा 144 सीपीसी प्रकरण संख्या 03/2018 अनवानी रामलाल बनाम सरकार में आदेशिका दिनांक 07.06.2018 निम्नानुसार है।

> **"पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय से निर्णय पारित हो चुका है जो तहसीलदार श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्व है। न्यायालय हाजा के मूल निर्णय में उभयपक्ष को स्पष्टताः विधिसम्मत् सक्षम स्तर पर चाराजोही करने के निर्देश दिये जा चुके है। इस प्रार्थना पत्र पर कोई स्पष्टीकरण या निर्देश की पृथक से आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 मूल ही तहसील श्रीगंगानगर को लौटाया जावें।"**
>
> **फलस्वरूप प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2024 खारिज हो जाता है।**

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में यह कथन करना कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी का प्रकरण बनता ही नहीं था क्योंकि दोनों पक्षकारान अनूसूचित जाति से है इसलिए धारा 183 बी का मामला नहीं बनता। अपीलकृत कृषि भूमि जो पुनर्वास विभाग से आवंटन हुई थी और आवंटियों द्वारा बिना खातेदारी प्राप्त किये ही उक्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया। राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2 (67)/61/111 दिनांक 16.10.1987 के अनुसार जो कृषि भूमि बिना खातेदारी अधिकार के बेचान हो चुकी है, उनको बेदखल नहीं किया जावें। प्रकरण में हस्तांतरण से राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का भी उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए मामला धारा 183 बी के दायरे में नहीं आता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार से परे जाकर दिनांक 07.10.2016 को निर्णित किया गया है जो विधि विरूद्ध है जिसे यथावत रखा जाना कानूननी रूप से न्यायोचित नहीं है। माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

(प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 11.12.2017 को उपरोक्त आदेश दिये गये थे कि तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 07.10.2016 क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया था, जो न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया गया है। परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.12.2019 द्वारा जो रेस्पोडेन्टस वगैरा को कब्जा दिये जाने के आदेश पारित किये है, वह विधिसम्मत् नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.12.2017 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए, यह निर्देश दिया था कि प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) के परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2009 के तहत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इसमें पूर्व के 5 अधिनियमों के निरसन की स्थिति में वर्तमान में व्यवस्था दी गई है। हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में निस्तारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्कान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के तहत होना है। इसके लिए उपरोक्त नियमों के तहत नये जोड़े गये नियम 5ए के तहत नियमन की कार्यवाही होनी है। जिसके लिए उभयपक्ष दावेदार अपना दावा/आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को करने में स्वतन्त्र है, के आदेश पारित किये थे, न कि कब्जा सुपुर्द करने के। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में

> **"जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.05.1987 द्वारा आदेश पारित किया कि "आवंटी चेतनराम को आवंटित उपरोक्त रकबा के लिए वाद 150/86 निर्णय दिनांक 04.12.1986 के जरिए प्रार्थी को वारिस होने के नाते हकदार घोषित किया जा चुका है। अप्रार्थीगण की तरफ से ना तो उस समय घोषण पत्र जारी करने पर आपत्ति पेश की गई है ना ही अपने पक्ष में उन्होने कभी कोई सबूत पेश किया है। अतः आदेश दिए जाते है कि चक 20 एमएलबी मु.नं.57, हाल 55 का कब्जा अप्रार्थीगण से लिया जाकर प्रार्थी को दिलाया जावें, पत्रावली निर्णय शुमार हो"।**
>
> **उक्त आदेश के बाद दिनांक 15.09.2006 को न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या (1) श्रीगंगानगर द्वारा आदेश पारित किये कि " विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2006 अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि का कब्जा सुरजाराम उर्फ सुरजन राम निगरानीकर्ता को दिलाया जावें और जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल ना कर दिया जावें, कोई भी पक्षकार उसके कब्जे में बाधा अथवा विधन नहीं डालेगा। अधीनस्थ न्यायालय तुरन्त उसे भूमि का कब्जा सुपुर्द करावें।"**

न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या (1) श्रीगंगानगर का उक्त निर्णय वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। चूंकि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2017 द्वारा किसी भी पक्षकारान को कब्जा दिलवाने सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं दिये गये थे, परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से बाहर जाकर अपने आदेश क्रमांकः राजस्व/2019/1321 दिनांक 02.12.2019 द्वारा कब्जा दिलवाने सम्बन्धी जो कार्यवाही की गई है वह **विधि विरूद्व है और इसे यथावत रखा जाना कानून की दृष्टि में न्यायोचित नहीं है लिहाजा तहसीलदार श्रीगंगानगर का निर्णय/आदेश दिनांक 02.12.2019 कानूनन प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है, जो निरस्त किया जाता है।**

पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया थाः–

> **"हस्तगत प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनोपचारिक तरीके से अन्य को किया और मौके पर मूल आवंटी की बजाय अन्य व्यक्ति काबिज होने का दावा कर रहे है। इस दावे को और अधिक बल राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2(67)/61/III दिनांक 16.10.1987 से मिल गया कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बेचान हो गई उनको बेदखल नहीं किया जावें। प्रकरण में हस्तांतरण से राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबन्धों का भी उल्लंधन नहीं हुआ है। इस दृष्टि से यह मामला धारा**

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

183 बी के दायरे में नहीं आता है। इसलिए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण को क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार से परे जाकर दिनांक 07.10.2016 को निर्णीत किया है, जो विधि विरूद्व है और इसे यथावत रखा जाना कानून की दृष्टि में न्यायोचित नहीं है। लिहाजा यह निर्णय/आदेश कानूनन प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। न्यायालय हाजा भी इस विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पर सुनने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान मौजूद थे, परन्तु उस अधिनियम के निरसन के पश्चात भी दी गई व्यवस्था के तहत भी प्रकरण को यह न्यायालय नहीं सुन सकता लिहाजा अपील श्रवणधिकार/क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है।

प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2009 के तहत कार्यवाही अपेक्षित है। इसमें पूर्व के 5 अधिनियमों के निरसन की स्थिति में वर्तमान में व्यवस्था दी गई है। हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में निस्तारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के तहत होना है। इसके लिए उपरोक्त नियमों के तहत नये जोड़े गये नियम 5ए के तहत नियमन की कार्यवाही होनी है जिसके लिए उभयपक्ष दावेदार अपना दावा/आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को करने में स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति सहित रिकॉर्ड लौटाया जावें। "

पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2017 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए उभय पक्षकारान स्वतन्त्र है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर